07/01/26

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई
वकील उभयपक्ष हाजिर। मैंने सुनी गयी
बहस पक्षगणन तथा पत्रावली में
उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया
अत: वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर
डिक्री जारी की जाती है। विस्तृत निर्णय
पृथक से टंकण करा शामिल रहे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बरों कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलासः–मोनिका सामोर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 84/2012

1. जोरावर सिंह उम्र 30 वर्ष
2. करणसिंह उम्र 35 वर्ष
3. दशरथसिंह उम्र 28 वर्ष

} पुत्रगण अजीतसिंह

4. मेघकंवर पत्नि अजीतसिंह उम्र 58 वर्ष

समस्त जाति राजपूत समस्त निवासीगण ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीगण

बनाम

1. सज्जनसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. भू0अ0 निरीक्षक खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. पटवारी प0ह0 बाज्यावास, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4. तहसीलदार महोदय, तहसील दाँतारामगढ़ जिला–सीकर (राज.)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन

अं. धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. अधिवक्ता श्री नन्दलाल धायल, वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

निर्णय दिनांक –07/01/2026

1. वाद पत्र में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम हीरवास पटवार हल्का बाज्यावास भू. अ. नि. क्षेत्र खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में हाल भूमि ख.नं. 54 रकबा 0.71 है. किस्म भूमि बारानी द्वितीय, ख.नं. 55 रकबा 0.10 है. किस्म भूमि गै. मु. रास्ता, ख.नं. 56 रकबा 4.20 है. किस्म भूमि बारानी द्वितीय, ख.नं. 57/322 रकबा 1.85 है. किस्म भूमि बारानी द्वितीय व ख.नं. 58 रकबा 4.58 है. किस्म भूमि बारानी द्वितीय कुल किता 5 कुल रकबा 11.44 हैक्टेयर अवस्थित है। जो कि राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067--2070 से पूर्णतया प्रमाणित है। दावा में वर्णित भूमि ख.नं. 55 गै. मु. रास्ता वादीगण की भूमि ख.नं. 54, ख.नं. 56 के मध्य से होकर ग्राम हीरवास से कांटिया जाने वाली सड़क से दर्शित कर गै. मु. रास्ता भूमि ख.नं. 51, 52 व 53 व आगे ख.नं. 50 में मौके पर जो रास्ता चालु है जो कि आगे बल्लुपुरा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ